बइजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–5/2015 दायर तारीख 23.02.2015

छीतरलाल मुतबन्ना पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण उम्र बालिग व्यवसाय कृषि एव पंडिताई निवासी जोलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

..............वादी

<u>बनाम</u>

1. सुरेश पुत्र तुलसीराम जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोवर्धननिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. शम्भूलाल पुत्र तुलसीराम जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोवर्धननिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

गिरधारी लाल आचार्य अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट0

:–निर्णयः–

दिनांक 05.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के एकल स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि मोजा चांदजी की खेडी प0ह0 चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां में स्थित हो राजस्व अभिलेखों में आराजी नं0 1078/245 रकबा 11 बीघा दर्शायी हुई है। वादी द्वारा उसकी खातेदारी में अभिलिखित भूमि को प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी को न तो किसी प्रकार से अन्तरित किया गया न ही किसी अनुबन्ध के तहत विक्रय किया गया है। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि प्रतिवादीगण को काश्त हेतु उपलब्ध भी नही करवा रखी है। प्रतिवादीगण जो की वादी की खातेदारी भूमि के पडोसी है उनके द्वारा करीब 2 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है वे बिना किसी अधिकार एंव स्वामितव के है। प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया तो वादी उसे अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवा हटाने को कहा तब प्रतिवादीगण का पिता तुलसीराम धाकड जीवित था उसने वादी को आश्वस्त किया कि भूमि की नपती उसके समक्ष हो जाने के पश्चात जितनी भूमि वादी की खातेदारी की उसके कब्जे में पाई जायेगी तो वह एंव उसके पुत्र वादी की खातेदारी भूमि से अपना कब्जा हटा लेंगे। नपती कराने पर करीब 2 बीघा भूमि प्रतिवादीगण व तुलसीराम के अवैध कब्जे में पाई गई तुलसीराम की मृत्यू हो चुकी है। वर्तमान में तुलसीराम का अवैध कब्जा है। जिसे हटवाकर वादी अपनी खातेदारी भूमि का कब्जा पाने का अधिकारी है। क्योकि प्रतिवादीगण वादी के कहने पर अपना अवैध कब्जा हटाने को तैयार नही है। 20 नवम्बर 2006 से प्रतिवादीगण व उसके पिता ने अपनी खातेदारी भूमि से सटी हुई वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध कबजा किया। तुलसीराम की मृत्यू के पश्चात प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि के 2 बीघा रकबे को काश्त कर अवैध लाभ अर्जित कर रहे है। जिसके लिये वादी का कब्जा प्राप्त करने तक नियमानुसार मुआवजा पाने का अधिकारी है, बिनायदावा दिनांक 20.11.2006 से उत्पन्न हो सतत् रुप से जारी है। वादी ने अनुतोष चाहा कि मोजा चांदजी की खेडी स्थित आ0नं0 1078/245 रकबा 2 बीघा रकबे से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे। प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने दिनांक 20.11.2006 से पुनः वादी को कब्जा दिलाये जाने तक की

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया। वादी अधिवक्ता ने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कर दस्तावेजी उक्त साक्ष्य प्रस्तुत की है।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान शिविर में अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की पहचान सरपंच चांदजी की खेडी द्वारा की गई। प्रतिवादी ने जवाब में लिखवाया कि चांदजी की खेडी की आ0नं0 1078/245 रकबा 2 बीघा पर हमारा कोई कब्जा नही है। हमारा कब्जा हमारी भूमि पर ही है। छीतर की भूमि पर हमारा कब्जा नही है। पत्रावली को बंद की जावे। यदि हमारा कब्जा पाया जावे तो कब्जा हटा दिया जाव हमे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का शिविर में ही मेरीट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी ग्राम चांदजी की खेडी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 97 पर अंकित छीतरलाल मुतबन्ना पुत्र जगन्नाथ ब्राहमण निवासी जोलास के नाम पर आराजी नं0 1078/245 रकबा 2 बीघा भूमि का खातेदार है। आराजी नं0 1078/245 रकबा 2 बीघा भूमि पर अन्य उपरोक्त व्यक्ति सुरेश, शम्भूलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी गोवर्धननिवास का कब्जा पाया गया है। भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है जो बेदखल होने योग्य है। कब्जा प्रतिवादीगण का स्पष्ट है। प्रतिवादीगण स्वयं ने कब्जा हटाने हेतु प्रार्थना पत्र/जवाब प्रस्तुत कर सहमती दी है। अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर ग्राम चांदजी की खेडी पटवार हल्का चांदजी की खेडी की आराजी नं0 1078/245 रकबा 2 बीघा भूमि से सुरेश, शम्भूलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी गोवर्धननिवास का कब्जा हटवाया जाकर भूमि जमाबंदी अनुसार वादीगण को सिपूर्द कि जावे। खर्चा अपना-अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 05.06.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

05/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(केम्प चांदजी की खेडी)